अकादमी तम्बाकू एवं
प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है।

मुद्रक : अंकित प्रिन्टर्स, जयपुर

Rajasthan Police Academy

Security Justice & Peace

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

प्रमुख प्रावधान
एवं
पुलिस की भूमिका

मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

प्रमुख प्रावधान
एवं
पुलिस की भूमिका

मार्गदर्शिका

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

मार्गदर्शन

हेमन्त प्रियदर्शी, IPS
अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

मनीष अग्रवाल, IPS
उपनिदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सम्पादन

सुमन चौधरी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

धीरज वर्मा
पुलिस निरीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

लेखन

धीरज वर्मा
यदुराज शर्मा (परामर्शद्)
विश्वास शर्मा (परामर्शद्)
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

प्रकाशन

राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरू नगर, जयपुर

संस्करण : 2019-20

हेमन्त प्रियदर्शी, IPS
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक

राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरू नगर, जयपुर

संदेश

राजस्थान राज्य सहित पूरे देश ने सभी क्षेत्रों में चहुँमुखी विकास किया है। लेकिन कई तरह के प्रयासों के बावजूद हम देश के प्रत्येक नागरिकों विशेषत: बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर नहीं दे पा रहे हैं जबकि देश के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में भी बच्चों की सुरक्षा एवं विकास के प्रावधान किये गये हैं।

हमारा देश युवाओं का देश है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की एक तिहाई आबादी है जो देश की मुख्य मानव सम्पदा है। इनके विकास एवं सुरक्षा के बिना विकसित समाज की अवधारण अभी अधूरी है। दुर्भाग्य से दुनियाँ के सबसे अधिक यौन दुराचार से पीड़ित बच्चे भी भारत में ही है। लम्बे समय से बाल यौन शोषण से सुरक्षा दिलाने हेतु कठोर कानून की नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षण के अनुसार बालकों पर यौनिक दुराचार के सबसे घृणित रूप बलात्कार के मामलों में चिन्तनीय वृद्धि हुई है।

देश में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा मात्र अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के जरिए सिद्ध नहीं हो सकती बल्कि प्रत्येक नागरिक को यह अहसास कराना भी जरूरी है कि वे पूर्णत: सुरक्षित है। इससे वे निर्बाध प्रगति के अवसर तो बढ़ा ही सकेंगे साथ ही उनमें अपने संविधान के

प्रति भी आस्था और अधिक मजबूत होगी। यही एक कल्याणकारी राष्ट्र का अपने नागरिकों के प्रति मूल मन्त्र भी है।

हाल ही में नागरिकों की सुरक्षा विशेषत: बच्चों एवं महिलाओं के लिए व्यापक कार्य हुए हैं जिनमें से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया जाना प्रमुख है।

यह पुस्तक ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान एवं पुलिस की भूमिका'' ''सेन्टर फॉर सोशियल डिफेन्स एण्ड जैण्डर स्टडीज'' राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा एक संक्षिप्त प्रयास है जिसमें इससे जनसाधारण अपनी समझ बनाने एवं पुलिस अधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करेगी। प्रस्तुत संस्करण में इस अधिनियम में वर्ष 2019 में हुए नवीनतम संशोधनों को समाहित किया गया है।

आईये हम सब मिलकर बच्चों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर देना सुनिश्चित कर मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें।

हेमन्त प्रियदर्शी
अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(Protection of Children from Sexual Offence Act 2012)

देश में बालकों पर बढ़ते लैंगिक अपराधों (यौन हिंसा) की रोकथाम तथा कानूनी प्रावधान को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) लागू किया है। यह कानून 14 नवम्बर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है। तथा 5 अगस्त 2019 को इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवीनतम संशोधन किए गए हैं।

लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, हर बच्चे को जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों के प्रति यौन अपराधों के मुद्दे को उल्लेखित करने हेतु पहली बार एक विशेष कानून पारित किया गया है जिसमें अपराधों को स्पष्ट रूप से कानून में परिभाषित करते हुए बाल मैत्री प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। यह कानून लिंग समान है इसमें पीड़ित लड़का अथवा लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कठोर दण्ड का प्रावधान है जो कि अपराध की गम्भीरता के अनुरूप वर्गीकृत है।

आवश्यकता व उद्देश्य

- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 15(3) अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष

उपबन्ध बनाने एवं विशेष संरक्षण देने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39 (ड़)(च) अन्य बातों के साथ बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोकने एवं बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाने के अनुसार राज्य को अपनी नीतियों का निर्धारण करने हेतु सशक्त करता है।

- 30 सितम्बर, 1990 को बालकों के अधिकारों से सम्बन्धित, बच्चों के जीवनयापन, संरक्षण और विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व सम्मेलन में एक विशेष घोषणा तैयार की गई। 11 दिसम्बर, 1992 को, भारत ने भी इसे समर्थन दिया था। सम्मेलन में सभी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई थी कि (क) किसी बालक को, किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लगाये जाने के दुरुपयोग व उपेक्षा को (ख) लैंगिक व्यवसाय व यौन हिंसा को (ग) बाल अपहरण, बिक्री व व्यापार के शोषणात्मक उपयोग करने को समुचित राष्ट्र विभिन्न उपायों द्वारा रोकें।

  महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय द्वारा 9 फरवरी, 2004 को अंगीकार किये गये, राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 में प्रत्येक बच्चे को बालक होने का अपना जन्मजात अधिकार प्राप्त करने, स्वस्थ तथा खुशहाल बाल्यावस्था बिताने और बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाने के प्रति समाज में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य पर बल दिया गया है।

- यह आवश्यक है कि बालकों पर लैंगिक हमले, उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, बालश्रम, बालविवाह, बन्धुआ मजदूर के अपराधों से, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के हित और भले की रक्षा के लिए रिपोर्ट करने, साक्ष्य के अभिलेख, अपराधों के अनुसंधान और त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का उपबन्ध करने के लिए पूर्ण व्यापक कानून बनाया जावें, जिसमें की प्रत्येक स्तर पर बालक के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को अधिक महत्व दिया जाए और बालक के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है—

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3)

कोई व्यक्ति जब किसी भी सीमा तक, किसी बालक की योनि, मुँह, मुत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का अंग जो लिंग नहीं हो, प्रवेशित करता है या बालक के शरीर के अंग को इस तरह काम में लेता है जिससे कि बालक की योनि, मुत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग/वस्तु को प्रवेशित करता है या बालक के लिंग, योनि, मूत्रमार्ग पर मुँह को लगाता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है।

1. जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी

किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। (धारा 4)

2. 16 वर्ष तक के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर कारावास 20 वर्षों से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से होगा।

3. किया गया जुर्माना न्यायोचित एवं समुचित होगा और पीड़ित के चिकित्सकीय एवं पुनर्वास खर्चे की पूर्ति के लिए देय होगा।

गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 5)

- धारा 5 के अनुसार गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर धारा 6 के प्रावधानों के अर्न्तगत बीस साल से लेकर आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से है, या मृत्युदण्ड तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किया गया जुर्माना न्यायोचित एवं समुचित होगा और पीड़ित के चिकित्सकीय एवं पुनर्वास खर्चे की पूर्ति के लिए देय होगा। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले में–

  (क) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

  (ख) किसी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

  (ग) किसी लोक सेवक द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

  (घ) किसी प्रतिप्रेषण गृह या रिमाण्ड होम, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या किसी देखरेख या संरक्षण की संस्था

के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(च) किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(छ) किसी बालक पर किया गया सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ज) घातक आयुध आदि का प्रयोग करते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(झ) प्रवेशन लैंगिक हमला करने के दौरान गंभीर चोट या जननेन्द्रियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना।

(ञ) प्रवेशन लैंगिक हमला करने के कारण–

- बालक का शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हो जाना।
- बालिका की दशा में गर्भवती हो जाना।
- बालक का वाइरस या प्राणघातक रोग से ग्रसित हो जाना।
- बालक की मृत्यु हो जाना।

(ट) बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ठ) बालक पर एक से अधिक बार किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ङ) बारह वर्ष से कम आयु के बालक पर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ढ) बालक के नातेदार या घरेलू संबंध में रहते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ण) बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(त) बालक का न्यासी या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(थ) बालिका के गर्भवती होते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(द) बालक की हत्या करने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हुए किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(ध) सामुदायिक या पथिक हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(न) लैंगिक अपराध के पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(प) बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्रकर या निर्वस्त्र का प्रदर्शन कर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला शामिल है।

लैंगिक हमला (धारा 7)

जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है, या बालक से छूआता है, अथवा बालक को ऐसे करने के लिए तैयार करता है, या लैंगिक आशय के साथ ऐसा ही कोई अन्य कार्य

करता है, जिसमें प्रवेशन किए बिना ही शारीरिक सम्पर्क होता है, ऐसे कार्य को लैंगिक हमला कहा जायेगा।

जो कोई भी लैंगिक हमला करता है, उसे कम से कम तीन वर्ष एवं अधिकतम पाँच वर्ष का कारावास हो सकेगा और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जायेगा। (धारा 8)

गुरुत्तर लैंगिक हमला (धारा 9)

- धारा 9 के अनुसार गुरुत्तर लैंगिक हमला करने पर धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत पांच साल से लेकर सात साल के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गुरुत्तर लैंगिक हमले में–

(क) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(ख) किसी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(ग) किसी लोक सेवक द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(घ) किसी प्रतिप्रेषण गृह या रिमाण्ड होम, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या किसी देखरेख या संरक्षण की संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(च) किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(छ) किसी बालक पर किया गया सामूहिक लैंगिक हमला।

(ज) घातक आयुध आदि का प्रयोग करते हुए किया गया लैंगिक हमला।

(झ) लैंगिक हमला करने के दौरान गंभीर चोट या जननेन्द्रियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना।

(ञ) प्रवेशन लैंगिक हमला करने के कारण–

- बालक का शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हो जाना।
- बालक का वाइरस या प्राणघातक रोग से ग्रसित हो जाना।

(ट) बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर किया गया लैंगिक हमला।

(ठ) बालक पर एक से अधिक बार किया गया लैंगिक हमला।

(ड) बारह वर्ष से कम आयु के बालक पर किया गया लैंगिक हमला।

(ढ) बालक के नातेदार या घरेलू संबंध में रहते हुए किया गया लैंगिक हमला।

(ण) बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी द्वारा किया गया लैंगिक हमला।

(त) बालक का न्यासी या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए किया गया लैंगिक हमला

(थ) बालिका के गर्भवती होते हुए किया गया लैंगिक हमला।

(द) बालक की हत्या करने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हुए किया गया लैंगिक हमला।

(ध) सामुदायिक या पथिक हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया लैंगिक हमला।

(न) लैंगिक अपराध के पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला।

(प) बालक को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर या निर्वस्त्र का प्रदर्शन कर किया गया लैंगिक हमला।

(फ) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बालक को हार्मोन या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ देना शामिल है।

लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11)

- **धारा 11** के अनुसार बालक के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने पर धारा 12 के प्रावधानों के अर्न्तगत तीन साल तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न में–

1. बालक को लैंगिक आशय से कोई शब्द कहना या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करना।
2. लैंगिक आशय से किसी बालक को अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहना।
3. बालक को अश्लील साहित्य दिखाना।

4. बालक का सीधे या इलेक्ट्रिक माध्यम से पीछा करना।
5. बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य की तस्वीर खींचकर उपयोग करने की धमकी देना।
6. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन देना शामिल है।

अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा 13)

- **धारा 13** के अनुसार किसी बालक/बालिका का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने पर अलग अलग परिस्थितियों में धारा 14 के प्रावधानों के अर्न्तगत 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। बालक/बालिका का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में –
  1. किसी बालक की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन।
  2. किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना।
  3. किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन शामिल है।
- **धारा 14** के प्रावधानों के अनुसार दण्ड संबंधी प्रावधानों में –
  1. किसी बालक के अश्लील साहित्य प्रयोजन के लिए प्रथम अपराध में पांच साल तक के कारावास

तथा जुर्माने से एवं द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए सात साल तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

2. किसी बालक को अश्लील साहित्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने के साथ साथ यदि बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला या लैंगिक हमला या गुरुत्तर लैंगिक हमला किया जाता है तो उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त संबंधित धाराओं के दण्ड से भी दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

- **धारा 15** के अनुसार बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण, कब्जे, तथा ऐसे साहित्य को नष्ट करने या डिलीट करने में असफल होने पर अलग अलग परिस्थितियों में 5 से 10 हजार रुपये के जुर्माने तथा 3 साल से 7 साल तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दण्ड संबंधी प्रावधानों में –
  1. बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण, कब्जे, तथा ऐसे साहित्य को नष्ट करने या डिलीट करने में असफल होने तथा संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं करने पर प्रथम अपराध में पांच हजार तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

2. बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य को ट्रांसमिट या प्रचारित या प्रबन्धित या प्रसारित करने पर तीन साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भंडारण एवं कब्जा रखने पर प्रथम अपराध में तीन साल से पांच साल तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनों तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए पांच साल से सात साल तक के कारावास तथा जुर्माने या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसी अपराध का दुष्प्रेरण (धारा 16)

एक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या अपराध को करने के लिए किसी षड़यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यन्त्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये या उस अपराध को करने में साशय सहायता करता है वह उस अपराध का दुष्प्रेरण करता है।

यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो उस अपराध के लिए निर्धारित है। (धारा 17)

अपराध करने के प्रयास के लिए दण्ड (धारा 18)

जो किसी अपराध को करने या ऐसे अपराध को कराने का प्रयास करता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने के लिए कोई कार्य करता है वह उस अपराध के उपबंधित किसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास के आधे तक हो सकेगा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक हो सकेगा, या जुर्माने से दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अपराध की रिपोर्टिंग करना (धारा 19)

इस कानून में इस तरह के अपराधों की सूचना देना या उसे लेखबद्ध करना अनिवार्य किया गया है। कोई भी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत बालक भी है) जिसे यह आशंका है, कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध होने की संभावना है या उसे जानकारी है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो वह सम्बन्धित स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई को जानकारी उपलब्ध करायेगा और ऐसे अपराध की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध को पंजीबद्ध किया जावेगा।

मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता (धारा 20)

यह धारा मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो, फोटो चित्रण सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो किसी सामग्री, वस्तु जो किसी माध्यम के उपयोग से किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है तो वह संबंधित

स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई को जानकारी उपलब्ध करायेगा।

मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दण्ड (धारा 21)

कोई व्यक्ति धारा 19 व 20 के अनुसार किसी अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने या ऐसे अपराध को लेखबद्ध करने में विफल रहता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से जो छः माह का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

किसी कम्पनी या किसी संस्था का प्रभारी होते हुए अपने नियंत्रण के अधीन अधीनस्थ के द्वारा किये गये अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ हो जाता है, को अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 19 व 20 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक पर लागू नहीं होंगे।

मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दण्ड (धारा 22)

कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9 के किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसे अवमानित करने, उद्यापित करने या धमकाने या बदनाम करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करता है या कोई सूचना उपलब्ध करवाता है वह छः माह के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

जहाँ किसी बालक द्वारा मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना उपलब्ध करवायी गयी है ऐसे बालक पर दण्ड अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

जो कोई बालक नहीं है किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना उसे मिथ्या जानते हुए उपलब्ध करवाता है जिसमें ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित होता, वह ऐसे कारावास से जो की एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

मीडिया के लिए प्रक्रिया (धारा 23)

- कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियों या फोटोग्राफी सुविधाओं से पूर्ण और अधिप्रमाणित सूचना के बिना किसी बालक पर कोई रिपोर्ट/टिप्पणी नहीं करेगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता हो।
- किसी मिडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान जिसके अन्तर्गत बच्चे का नाम, पता, फोटोग्राफ परिवार के विवरणों, विद्यालय, पड़ोसी या किन्हीं अन्य विवरण को प्रकट नहीं किया जायेगा।
- परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकरण बालक के हित में है।
- मीडिया या स्टूडियो फोटोग्राफी सुविधाओं का प्रकाशक या मालिक संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों के किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छः माह से एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

विशेष न्यायालय की स्थापना (धारा 28)

- अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्धारित किया गया है।
- विशेष न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में किसी भी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 67-ख के अधीन अपराधों का जहाँ तक वे बालक को चित्रित करने वाली लैंगिक सामग्री के प्रकाशन या वितरण से संबंधित है या बालक का ऑन लाईन दुरूपयोग सफल बनाते हैं, के विचारण का क्षेत्राधिकार होगा।
- धारा 29 के अनुसार जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7, और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहाँ विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यह अपराध किया है जब तक कि प्रतिकूलता साबित नहीं हो।
- जिला एवं सत्र न्यायालय में पदस्थापित विशेष लोक अभियोजक इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विशेष लोक अभियोजक है। (धारा 32)

बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने एवं आयु की अवधारणा (धारा 34)

- जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहाँ ऐसे बालक पर किशोर न्याय (बालकों

की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, ऐसे प्रश्न का समाधान विशेष न्यायालय द्वारा स्वयं का समाधान करने के पश्चात किया जावेगा।

अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता (धारा 43)

- केन्द्रीय सरकार व प्रत्येक राज्य सरकार साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के प्रति जागरूकता बनाने के लिए मीडिया जिसके अन्तर्गत टेलिविजन रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अन्तरालों पर व्यापक प्रचार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंद्ध व्यक्तियों (जिनमें पुलिस अधिकारी सम्मिलित है) को अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनेटरिंग (धारा 44)

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए स्वप्रेरणा से या सुसंगत अभिकरणों से लैंगिक दुरूपयोग के रिपोर्ट किये गये मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनके निपटारे की बाबत् सूचना और आँकड़ों का संकलन कर सकेंगे।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में पुलिस अधिकारी की भूमिका

अपराध की रिपोर्टिंग–

1. बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध कारित होने की आशंका के संबंध में विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। (धारा-19(1))
2. घटना के संबंध में किसी व्यक्ति, बालक या उसके परिवार जन द्वारा रिपोर्ट देने पर उसे तुरन्त लेखबद्ध की जायेगी और सूचना देने वाले को पढ़ कर सुनाई जायेगी। (धारा-19(2))
3. बालक द्वारा घटना के संबंध में मौखिक सूचना देने पर तसल्ली पूर्वक जानकारी कर उसे ऐसी सरल भाषा में अभिलेखित किया जावेगा जिसे बालक सूचना की अर्न्तवस्तु को समझ सकें। (धारा-19(3))
4. आवश्यकता होने पर बालक को भाषा को समझाने के लिये अनुवादक, विशेष शिक्षक या दुभाषिया की सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। (धारा-19(4))
5. परिवादी को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
6. विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा वह बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह यथाशीघ्र ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख

के लिए निकटतम अस्पताल में रखने की व्यवस्था की जायेगी। (धारा-19 (5))

7. पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर प्रत्येक मामले की रिपोर्ट संबंधित बाल कल्याण समिति और अधिकृत विशेष न्यायालय को दी जाएगी। (धारा-19(6))
8. स्थानीय पुलिस द्वारा देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को देखरेख के कारणों को रिपोर्ट में लेखबद्ध करने के साथ ही 24 घण्टे के भीतर उसे उचित देखरेख एवं संरक्षण हेतु संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
9. पीड़ित बच्चे के साथ जहाँ अपराध परिवार के सदस्य द्वारा किया गया है या उनकी लिप्तता पायी गयी हो वहाँ सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी।
10. जिन प्रकरणों में बाल कल्याण समिति द्वारा बालकों की सहायता हेतु सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की गयी है ऐसा सहायक व्यक्ति बालकों के साथ अन्वेषण जाँच या विचारण के समय उपस्थित रह सकेगा।
11. जहाँ बालक को सहायक व्यक्ति दिया गया है वहाँ स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसे आदेश के 24 घण्टे के भीतर लिखित में विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना दी जाएगी।
12. इस अधिनियम के प्रकरणों का अनुसंधान संबंधित थानाधिकारी द्वारा किया जाएगा किन्तु यदि मामला सामूहिक प्रवेशन लैंगिक

हमले का है या प्रवेशन लैंगिक हमले के दौरान मृत्युकारित करने से सम्बन्धित है वहाँ अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

13. अनुसंधान में एफ.आर. (अन्तिम रिपोर्ट) की स्थिति में प्रकरण का सत्यापन सम्बन्धित वृत्ताधिकारी द्वारा किया जावेगा।
14. यदि घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी हो गई है तो कारण जानने का प्रयास किया जाएगा।
15. प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचना देने वाले को पढ़ कर सुनाई जावें कोई नया तथ्य सामने आने पर उसको कार्यवाही पुलिस में स्पष्ट खुलासा किया जाएगा।
16. परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की रोजनामचा में रपट अंकित की जाएगी।
17. प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही पुलिस में इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को जोड़ा जाएगा।

पुलिस द्वारा बालक का बयान लेखबद्ध करना–

1. पुलिस अधिकारी द्वारा बिना किसी देरी के पीड़ित बालक के बयान दर्ज किया जाएगें।

2. पीड़ित बालक के बयान उसके निवास या उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज किये जाएगें और जहाँ तक संभव हो उपनिरीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। (धारा-24(1))
3. बालक के कथन को अभिलिखित किये जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं रहेंगे। (धारा-24(2))
4. अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि बालक किसी भी स्थिति में (आरोपी की पहचान परेड़ को छोड़कर) आरोपी के सम्पर्क में नहीं आये। (धारा-24(3))
5. किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। (धारा-24(4))
6. पुलिस अधिकारी तब तक यह सुनिश्चित करेंगे की बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से संरक्षित है जब तक की बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा निर्देशित नहीं किया गया हो। (धारा-24(5))
7. पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के माता-पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक भरोसा या विश्वास है की उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गये अनुसार कथन दर्ज किये जायेंगे। (धारा-26(1))
8. पुलिस अधिकारी द्वारा बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिया की सहायता ली जाएगी। (धारा-26(2))

9. मानसिक व शारीरिक नि:शक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की सेवायें ली जाएगी। (धारा-26(3))

10. पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक के द्वारा दिये गये बयानों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की जाएगी। (धारा-26(4))

11. पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान या कार्यवाही के दौरान बालक से सवाल जवाब में दबाव नहीं दिया जाए और ना ही बालक पर किसी प्रकार का नैतिक निर्णय थोपा जाए जिससे की वह स्वयं को दोषी या दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार महसूस करे।

12. पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक अथवा उसके परिवार के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में टिप्पणी नहीं की जाए और ना ही जाँच के दौरान किसी भी प्रकार गैर जिम्मेदाराना भाषा का उपयोग किया जाए।

मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के बयान लेखबद्ध करना-

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष विशेष कारण बताते हुए पीड़ित बालक के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान तुरन्त लेखबद्ध करवाये जाएगें।

2. पीड़ित बालक के कथनों का अभिलेखन मजिस्ट्रेट द्वारा बालक द्वारा बोले गये अनुसार अभिलिखित किये जाएगें। (धारा-25(1))

3. मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथनों के अभिलेखन के संबंध में धारा 26 के प्रावधान लागू होंगे।

बालक का चिकित्सकीय परीक्षण करवाना-

1. पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक का अविलम्ब मेडिकल मुआयना करवाया जाएगा।

2. पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बालक की चिकित्सीय जाँच जिसके साथ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है उस अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद दर्ज हुये बिना भी धारा 164 (क) द.प्र.स. के अनुसार संचालित की जाएगी। (धारा-27(1))

3. यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। (धारा-27(2))

4. चिकित्सकीय परीक्षा बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जावें जिस पर बालक भरोसा या विश्वास रखता हो। (27(3))

5. जहाँ बालक के माता-पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जाँच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं है वहाँ संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में करवायी जाएगी। (धारा-27(4))

6. पीड़ित बालक के वस्त्रों पर खून, बाल, सीमन आदि के धब्बों को चिन्हित करें तथा जैविक प्रादर्शों को सही तरीके सुरक्षित किया जाए।

7. पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे के कपड़े व अन्य एकत्रित नमूने शीघ्रताशीघ्र फोरेंसिक जाँच के लिये फोरेंसिक प्रयोगशाला में भिजवायें जाए।
8. पुलिस अधिकारी द्वारा फोरेंसिक प्रयोगशाला से प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट मंगवाना सुनिश्चित किया जाए।

घटनास्थल का निरीक्षण-

1. पुलिस अधिकारी द्वारा तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जावें।
2. घटना स्थल के सम्पूर्ण भौतिक साक्ष्य जब्त कर जरिये फर्द पत्रावली में शामिल करें।
3. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों व अन्य अलामात की स्थिति दर्शायी जावें।
4. घटना स्थल के गवाहान व परिवारजन से प्रासंगिक पहलुओं को सम्मलित करते हुये बयान लेखबद्ध किये जावें।
5. पुलिस अधिकारी द्वारा घटनास्थल की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवायी जाकर फोटोग्राफर से बयान लेखबद्ध किये जावें।
6. विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के संदर्भ में सक्षम व्यक्ति द्वारा धारा 65-B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

अन्य जानकारियाँ-

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुसार प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के मामलों का अनुसंधान दो माह में पूर्ण किया जाएगा।
2. जहाँ इस अधिनियम में वर्णित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया अभिकथित किया गया है, वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अर्न्तगत अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अर्न्तगत दो माह में पूर्ण किया जाएगा।
4. इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 तथा इस अधिनियम की धारा 37 के अर्न्तगत बन्द कमरे में किया जाएगा।
5. इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों का में पारित दण्डादेशों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374/377 के अर्न्तगत अपील का निस्तारण छह माह में किया जाएगा।

6. इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रवेशन लैंगिक हमला या गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराधों में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगें।
7. पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को बाल कल्याण समिति में नियुक्त पैनल अधिवक्ता अथवा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में अवगत करवाया जाए।
8. पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे या उसके परिवारजन को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत पीड़ित मुआवजा प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत करवाया जाए।

लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण नियम, 2012

धारा 5 अपात चिकित्सा देखरेख—(1) जहाँ एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), या स्थानीय पुलिस के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिनियम के अधीन या कोई अपराध किया गया है और उसका समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, तुरंत चिकित्सा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह यथाशक्त शीघ्र किन्तु ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के पश्चात्, ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख

के लिए निकटतम अस्पताल या चिकित्सा देखरेख प्रसुविधा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करेगा :

परंतु जहाँ कोई अपराध अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन किया गया है वहाँ पीड़ित आपात चिकित्सा देखरेख के लिए ले जाया जाएगा।

(2) आपात चिकित्सा देखरेख, ऐसी रीति में, जिससे बालक की निजता की सुरक्षा हो सके, और उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी।

(3) किसी बालक की आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला कोई भी चिकित्सा व्यवसायी, अस्पताल या अन्य चिकित्सा प्रसुविधा केन्द्र ऐसी देखरेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में किसी भी विधिक या मजिस्ट्रेट की अध्यपेक्षा या अन्य प्रलेखीकरण की माँग नहीं करेगा।

(4) आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(i) कट (विदारण), नीलों और अन्य क्षतियों जिसके अंतर्गत जननेन्द्रिय क्षति, यदि कोई हों, भी है, का उपचार;

(ii) लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडीज) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत परिलक्षित एसटीडीज का रोग निरोध भी है, का उपचार;

(iii) संक्रामक रोग विशेषज्ञ से आवश्यक परामर्श के पश्चात् ह्यूमन इम्यूनोडेफियंसी वायरस (एचआईवी) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत एचआईवी का रोग निरोध भी है, का उपचार;

(iv) यौवनागम बालक और उसके माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति से, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, के साथ संभाव्य गर्भास्तित्व और आपात गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करनी चाहिए; और

(v) जहाँ आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संदर्भालोकन या परामर्श या अन्य मंत्रणा की जानी चाहिए।

(5) आपात चिकित्सा देखरेख करने के प्रक्रम पर एकत्रित किए गये किसी भी न्याय संबंधी साक्ष्य की अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में एकत्रित किया जाना चाहिए।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में घायल पीड़ित व्यक्ति को अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थानाधिकारी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रेषक:-
थानाधिकारी,
पुलिस थाना
.....

या न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय .....

प्रेषिति
श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....

विषय:- धारा 357 (ए) (6) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अनुच्छेद 5 (7) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजों से व अन्यथा प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस थाना ..... के अभियोग (एफ.आई.आर) सं. ..... में श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी ..... को चोटें पहुँची हैं। घायल होने की वजह से उसकी पारिवारिक आय को क्षति पहुँची है। इलाज में खर्चा हुआ है। उसकी पारिवारिक स्थिति एवं कुल हालात में उसे चिकित्सा सुविधा/ त्वरित आर्थिक मदद दिया जाना उचित है। पीड़ित को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है। पीड़ित ने अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। (पीड़ित का शपथपत्र एवं दस्तावेज संलग्न हैं)

उपरोक्तानुसार आवश्यक तथ्य प्रमाणित कर अपराध में घायल पीड़ित व्यक्ति को त्वरित अन्तरिम राहत दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत अपराध में जीवन हानि होने से मृतक व्यक्ति के आश्रित को अंतरिम प्रतिकर दिलाने हेतु थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रेषक:-
थानाधिकारी, या न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुलिस थाना न्यायालय .....
.....

प्रेषिति
श्रीमान अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....

विषय:- धारा 357 (ए) (6) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अनुच्छेद 5 (7) राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अन्तर्गत अंतरिम प्रतिकर हेतु प्रमाण पत्र

महोदय,

निवेदन है कि प्रस्तुत शपथपत्र एवं दस्तावेजों से व अन्यथा प्रमाणित किया जाता है कि पुलिस थाना ..... के अभियोग (एफ.आई.आर) सं. ..... में श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जाति ..... निवासी ..... को मृत्यु हुई है। मृत्यु हो जाने की वजह से उसके आश्रितों की पारिवारिक आय को क्षति पहुँची है। मृतक के आश्रितों श्री/श्रीमती ..... की पारिवारिक स्थिति एवं कुल हालात में उसे त्वरित आर्थिक मदद दिया जाना उचित है। मृतक व्यक्ति के आश्रितों को केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था की किसी अन्य स्कीम के अधीन हानि या क्षति के लिए प्रतिकारित नहीं किया गया है। मृतक के आश्रितों ने अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। (मृतक के आश्रित/आश्रितों के शपथपत्र एवं दस्तावेज संलग्न हैं)

उपरोक्तानुसार आवश्यक तथ्य प्रमाणित कर मृतक व्यक्ति के आश्रित को त्वरित अन्तरिम राहत दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर थानाधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट

पीड़ित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत नवीनतम प्रतिकर राशि

क्र. सं.	हानि या क्षति की विशिष्टयाँ	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	2	3
1.	जीवन हानि (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/-
	जीवन हानि (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 2,50,000/-
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 5,00,000/-
	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 2,50,000/-
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य)	रु. 80,000/-
	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रु. 50,000/-
4.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है।	रु. 25,000/-
5.	अवयस्क के साथ बलात्संग	रु. 5,00,000/-
6.	बलात्संग	रु. 5,00,000/-

7.	पुनर्वास	रु. 1,00,000/–
8.	मानव दुर्व्यापार, बाल दुरुपयोग और व्यपहरण जैसे मामले में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या कोई क्षति हुई है।	रु. 25,000/–
9.	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	रु. 20,000/–
10.	अम्ल (एसिड) हमले का पीड़ित	रु. 3,00,000/–
11.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000/–
	(ख) गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला	रु. 5,00,000/–
	(ग) लैंगिक हमला	रु. 1,00,000/–
	(घ) गुरुतर लैंगिक हमला	रु. 2,00,000/–
	(ङ) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग	रु. 1,00,000/–

टिप्पणी : अंतरिम सहायता के रूप में निम्नलिखित व्यय सदेय होंगे:–

(i) दाह संस्कार व्यय : रु. 10,000/–

(ii) चिकित्सा व्यय रु. 25,000/– तक

(iii) बालक की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 50%

(iv) वयस्क की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 25%

❑❑❑